

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

S. B. Civil First Appeal No. 134/2019

8.3.2019

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री आलोक चतुर्वेदी ।

सुना गया ।

अभिलेख तलब किया जावें ।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे एक सप्ताह में धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के क्रम में पी एफ नोटिस पेश करें, जो पेश किए जाने पर आगामी चार सप्ताह में वापसी योग्य जारी किए जावें ।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति